

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/815

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी देवन्दी व भू.अ.नि. सिवाना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समन्दी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समन्दी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समन्दी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	अरजीधाना	172, 175, 177, 226, 139, 224, 360, 688, 701, 692, 386, 388.	जबरापुत्र भीमा	जबरसिंह पुत्र भीमसिंह
02	बीमलिया	400, 432, 125, 406.	जबरारामपुत्र भीमा राम	

(सुरेन्द्र सिंह खंभाबेत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- / राजस्व / ग्रा.से.शिविर / 2025 / 24

दिनांक:- 16.10.2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/समन्दी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण जबरसिंह पुत्र भीमसिंह आर्त-पुरुहित निवासी, अरजीधाना तहसील सिवाना/समन्दी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

